अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2016

समकरण उद्ग्रहण नियम, 2016

का.आ. 1905(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 179 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समकरण उद्ग्रहण से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समकरण उद्ग्रहण नियम, 2016 है ।

(2) ये 1 जून, 2016 से प्रवृत होंगे ।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों के परिशिष्ट में दिया गया प्ररूप अभिप्रेत है ।

3. विनिर्दिष्ट सेवाओं, समकरण उद्ग्रहण आदि के लिए प्रतिफल का पूर्णांकित किया जाना – अधिनियम के अध्याय 8 के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिफल की रकम और समकरण उद्ग्रहण की रकम, संदेय ब्याज और शास्ति तथा देय प्रतिदाय की रकम को दस रुपए के निकटतम गुणांक में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए रुपए का कोई भाग, जिसमें पैसा है, को छोड़ दिया जाएगा और तत्पश्चात् यदि ऐसी रकम दस का गुणांक नहीं है तब यदि उस रकम में अंतिम अंक पाँच या अधिक है तो रकम को अगली उच्चतर रकम में बढ़ा दिया जाएगा, जो दस का गुणांक है और यदि अंतिम अंक पाँच से कम है तो रकम को अगली निम्नतम रकम तक घटा दिया जाएगा जो दस का गुणांक है ।

4. समकरण उद्ग्रहण का संदाय – प्रत्येक निर्धारिती, जिससे समकरण उद्ग्रहण की कटौती और संदाय करना अपेक्षित है ऐसे उद्ग्रहण की रकम का केंद्रीय सरकार के खाते में भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में समकरण उद्ग्रहण चालान के साथ जमा करके संदाय करेगा ।

5. विनिर्दिष्ट सेवाओं का विवरण – (1) अधिनियम की धारा 167 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट सेवाओं का विवरण प्ररूप सं. 1 में सम्यकत: उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित होगा और उसे निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित रीति में प्रस्तुत किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(i) अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रानिकी रीति में विवरण प्रस्तुत करना ; या

(ii) इलैक्ट्रानिकी सत्यापन कूट के अधीन इलैक्ट्रानिकी प्ररूप में डाटा के पारेषण के माध्यम से ।

(2) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समकरण उद्ग्रहण से प्रभार्य सभी विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में प्ररूप सं. 1 में विवरण उस वित्त वर्ष के तुरंत पश्चातवर्ती 30 जून को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) डाटा के सुरक्षित कैप्चर और पारेषण का सुनिश्चय करने के लिए प्रक्रिया, प्ररूपों और मानकों को अधिकथित करेगा और वह उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में विवरण को प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुन: प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिए "इलैक्ट्रानिकी सत्यापन कूट" से प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा अधिकथित डाटा संरचना और मानकों के अनुसार विनिर्दिष्ट सेवाओं का विवरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के इलैक्ट्रानिकी सत्यापन के प्रयोजन के लिए सृजित कूट अभिप्रेत है ।

6. विनिर्दिष्ट सेवाओं का विवरण मंगाने के लिए सूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली समय- सीमा – जहां कोई निर्धारिती नियम 5 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को सूचना की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर नियम 5 में विनिर्दिष्ट प्ररूप और उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी कर सकेगा ।

7. मांग की सूचना –अधिनियम के अध्याय 8 के उपबंधों के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप जब कोई उद्ग्रहण, ब्याज या शास्ति संदेय है तो निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को प्ररूप सं. 2 में संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए मांग की सूचना की तामील करेगा :

परंतु जहां अधिनियम की धारा 168 की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय राशि का अवधारण किया जाता है तो उक्त धारा के अधीन संसूचना को मांग की सूचना माना जाएगा ।

8. आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील का प्ररूप – (1) आयुक्त (अपील) को अधिनियम की धारा 174 की उप-धारा (1) के अधीन अपील प्ररूप सं. 3 में निम्नलिखित रीति में प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :--

(i) अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रानिकी रीति में ; या

(ii) इलैक्ट्रानिकी सत्यापन कूट के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अपील का प्ररूप उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिसे निर्धारिती को यथा लागू नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट सेवाओं का विवरण सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

(3) प्ररूप सं. 3 के साथ किसी दस्तावेज को उस रीति में प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें प्ररूप सं. 3 प्रस्तुत किया जाता है ।

(4) प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) –

(i) प्ररूप सं. 3 में इलैक्ट्रानिकी रूप से फाइलिंग करने की प्रक्रिया को अधिकथित करेगा ;

(ii) उक्त प्ररूप को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के सत्यापन के प्रयोजन के लिए उपनियम (2) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिकी सत्यापन कूट की डाटा संरचना, मानकों और रीति को अधिकथित करेगा ; और

(iii) इस प्रकार प्रस्तुत उक्त प्ररूप के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को बनाने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

9. अपील अधिकरण को अपील करने की रीति – अपील अधिकरण को अधिनियम की धारा 175 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन अपील प्ररूप सं. 4 में की जाएगी और जहां निर्धारिती द्वारा अपील की जाती है, वहां अपील का प्ररूप अपील के आधार और उससे उपाबद्ध सत्यापन के प्ररूप पर निर्धारिती को यथा लागू प्ररूप सं. 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

परिशिष्ट

प्ररूप सं. 1

[समकरण उद्ग्रहण नियम, 2016 का नियम 4 देखें]

विनिर्दिष्ट सेवाओं का विवरण

ईएल – 1

· कृपया अनुदेशों का अनुसरण करें
· केवल स्पष्ट अक्षरों का उपयोग करें

भाग - क

अभिस्वीकृति

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

प्राप्ति सं. …………… तारीख ……………

प्राप्त करने वाले अधिकारी की

मुहर और हस्ताक्षर

1. निर्धारिती का नाम

2. निर्धारिती का पता

3. स्थायी लेखा संख्यांक (पैन)

4. वित्तीय वर्ष

(जिससे संबंधित विनिर्दिष्ट सेवाएं रिपोर्ट की जा रही हैं) -

5. वार्ड/सर्कल/रेंज

(रुपए में)

6. विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए संदत्त/जमा किए गए विचारण की कुल रकम

7. मद 6 पर कटौती किया गया समकरण उद्ग्रहण

8. कटौती किया गया कुल समकरण उद्ग्रहण

9. संदत्त कुल समकरण उद्ग्रहण

10. संदेय/प्रतिदाय समकरण उद्ग्रहण (7-9)

11. धारा 167 के अधीन संदेय ब्याज

12. संदत्त ब्याज

भाग-ख

कटौती किए गए और केंद्रीय सरकार को संदत्त और जमा किए गए समकरण उद्ग्रहण के ब्यौरे

क्रम सं.	विनिर्दिष्ट सेवा उपलब्ध कराने वाले अनिवासी का नाम	स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट अनिवासी का पता	स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट अनिवासी का पैन, यदि उपलब्ध हों तो	संदत्त/जमा किए गए विनिर्दिष्ट सेवाओं के प्रतिफल की रकम	विनिर्दिष्ट सेवाओ के प्रतिफल के रकम के संदाय/जमा करने की तारीख	समकरण उद्ग्रहण	ब्याज	शास्ति	बीएसआर कूट	चालान क्रम सं.	वह तारीख, जिसको रकम जमा की गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

सत्यापन

मैं, _____ (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र*/पुत्री _____ जिसका स्थायी खाता सं. _____ है, सदभावपूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस विवरण में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 और समकरण उद्ग्रहण नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार है। मैं, यह और घोषणा करता हूं कि मैं यह विवरण _____ की क्षमता में कर रहा हूं और मैं यह विवरण करने और उसका सत्यापन करने में सक्षम हूं।

तारीख _____
स्थान _____ (नाम और हस्ताक्षर)

टिप्पणियां :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें।
2. निर्धारिती से निवासी अभिप्रेत है और जो कोई कारबार या वृत्ति कर रहा है या कोई अनिवासी, जिसका भारत में स्थायी स्थापन है, जिसके द्वारा किसी अनिवासी को विनिर्दिष्ट सेवा के संबंध में (वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की धारा 166) संदत्त या संदेय समकरण उद्ग्रहण की कटौती करना अपेक्षित है।
3. यह प्ररूप निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत और सत्यापित किया जाएगा--
   (i) व्यष्टि या हि.अ.कु. की दशा में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अधीन आय-कर की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति ;
   (ii) कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रधान अधिकारी ;
   (iii) किसी अन्य दशा में प्रधान अधिकारी।

प्ररूप सं. 2

[समकरण उद्ग्रहण नियम, 2016 का नियम 7 देखें]

वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के अधीन मांग की सूचना

ईएल – 2

सेवा में
.....
..... प्रास्थिति.....

..... पैन..... .....

1. आपको यह सूचना दी जाती है कि वित्त वर्ष ..... के लिए ..... रुपए की राशि, जिसके ब्यौरे इसके दूसरी ओर दिए गए हैं, का आपके द्वारा संदेय के रूप में अवधारण किया गया है।

2. इस रकम को प्रबंधक, प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक ..... को इस सूचना की तामील के 30 दिन के भीतर संदाय किया जाना चाहिए। पूर्वोक्त राशि के संदाय के लिए 30 दिन से अन्यून अवधि अनुज्ञात करने के लिए अपर/संयुक्त आय-कर आयुक्त का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया गया है। संदाय के प्रयोजन के लिए चालान संलग्न है।

3. यदि आप पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर की रकम का संदाय नहीं करते हैं तो पूर्वोक्त अवधि के अंत के पश्चात् आरंभ होने वाली तारीख से प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत साधारण ब्याज का वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 178 के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 220(2) के अनुसार संदाय करने के दायी होंगे।

4. यदि आप पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर की रकम का संदाय नहीं करते हैं तो वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 178 के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 221 के अनुसार आपको सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् आप पर शास्ति (जो बकाया उद्ग्रहण की रकम के बराबर हो सकेगी) अधिरोपित की जा सकेगी ।

5. यदि आप पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर की रकम का संदाय नहीं करते हैं तो उसकी वसूली के लिए वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 178 के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 222, धारा 227, धारा 229 और धारा 232 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

6. यदि आप शास्ति के विरुद्ध अपील करने का आशय रखते हैं तो आप वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 174 के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) को इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर नियम 8 में यथा विहित सम्यकत: स्टाम्पित और उस प्ररूप में यथा विहित सत्यापन के पश्चात् प्ररूप सं. 3 में अपील प्रस्तुत कर सकेंगे ।

7. यह रकम आय-कर आयुक्त (अपील) के वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 174 के अधीन आदेश के परिणामस्वरूप देय हो गई है। यदि आप पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध अपील करने का आशय रखते हैं तो आप उक्त अधिनियम की धारा 175 के अधीन आय-कर अपील अधिकरण को उस आदेश की प्राप्ति के ..... दिन के भीतर नियम 9 में यथाविहित प्ररूप सं. 4 में सम्यकत: स्टाम्पित और विहित सत्यापन के पश्चात् अपील प्रस्तुत कर सकेंगे।

स्थान .....
तारीख.....

.....
निर्धारण अधिकारी
.....
पता

टिप्पणियां:

1. अनुपयुक्त पैराओं और शब्दों का लोप कर दें ।
2. यदि आप चैक द्वारा रकम के संदाय का आशय करते हैं तो चैक प्रबंधक, प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में आहरित किए जाएंगे ।
3. यदि आप रकम के संदाय के लिए समय के विस्तार की ईप्सा करते हैं या किस्तों में रकम के संदाय करने का प्रस्ताव करते हैं तो यथास्थिति, ऐसे विस्तार या किस्तों में संदाय की अनुज्ञा के लिए आवेदन निर्धारण अधिकारी को पैरा 2 में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व किया जाएगा । उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् प्राप्त अनुरोध पर आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 220(3) के विनिर्दिष्ट उपबंधों के मद्देनजर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

प्ररूप सं. 3

[समकरण उद्ग्रहण नियम, 2016 का नियम 8 देखें]

आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील

आयुक्त (अपील) का पदनाम

ईएल – 3

..... *की सं.....

1.	अपीलार्थी का नाम और पता		
2.	स्थायी लेखा संख्या		
3.	वित्त वर्ष, जिसके संबंध में अपील की गई है		
4.	निर्धारण अधिकारी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो		
5.	उस आदेश के ब्यौरे, जिसके विरुद्ध अपील की गई है		
	(क)	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की धारा और उप-धारा, जिसके अधीन वह आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है	

	(ख)	आदेश की तारीख		
	(ग)	मांग की सूचना की तामील करने की तारीख		
6.		क्या उस वित्त वर्ष के लिए कोई विवरण फाइल किया गया है, जिसके संबंध में अपील की गई है		हां/नहीं
6.1		यदि 6 का उत्तर हां हैं तो विवरण फाइल करने की तारीख		
6.2		क्या विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए कटौती किए गए समकरण उद्ग्रहण का संदाय किया गया है		हां/नहीं
6.3		यदि 6.2 का उत्तर हां हैं तो विवरण भरें		

बीएसआर कूट	संदाय की तारीख	क्रम सं.	रकम

7.		**क्या आवेदक की दशा में किसी आयुक्त (अपील) के पास किसी अन्य वित्त वर्ष के संबंध में कोई अपील लंबित है		
7.1		यदि 7 का उत्तर हां हैं तो निम्नलिखित ब्यौरे दें		हां/नहीं
	(क)	आयुक्त (अपील) जिसके पास अपील लंबित है		
	(ख)	अपील सं. और अपील फाइल करने की तारीख		
	(ग)	वित्त वर्ष, जिसके संबंध में अपील की गई है		
	(घ)	निर्धारण अधिकारी, जिसके द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की गई है		
	(ङ)	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की धारा और उप-धारा, जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है		
	(च)	ऐसे आदेश की तारीख		
8.		तथ्यों का विवरण		
8.1		मामले के संक्षेप में तथ्य (1000 शब्दों से अनधिक)		
8.2		वह दस्तावेजी साक्ष्य, जिस पर निर्भर किया गया है		
9.		अपील करने के आधार		
10.		वह पता, जिस पर अपीलार्थी को सूचना भेजी जा सकेगी		

सत्यापन का प्ररूप

मैं, ..., आवेदक एततद्वारा घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त किया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।
आज तारीख .... को सत्यापित।

स्थान ....
तारीख ....

....

हस्ताक्षर

टिप्पणियां :

1. अपील का प्ररूप उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिसे प्ररूप सं. 1 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के विवरण को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
2. * इन विशिष्टियों को आयुक्त (अपील) के कार्यालय में भरा जाएगा।
3. **यदि अपीलें एक से अधिक वित्त वर्ष के संबंध में लंबित हैं तो प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में पृथक् विशिष्टियां दी जाएं।

4. अपील ज्ञापन के साथ एक हजार रुपए की फीस संलग्न होगी ।

5. फीस को प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा में निर्धारण अधिकारी से चालान अभिप्राप्त करके जमा किया जाएगा ।

प्ररूप सं. 4

[समकरण उद्ग्रहण नियम, 2016 का नियम 9 देखें]

अपील अधिकरण को अपील का प्ररूप ईएल – 4

..... आय-कर अपील अधिकरण में .....की *अपील सं. .....

....

अपीलार्थी बनाम प्रत्यर्थी

1.	वह राज्य, जिसमें आदेश किया गया था	:	
2.	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की वह धारा, जिसके अधीन वह आदेश किया गया था, जिसके विरुद्ध अपील की गई है	:	
3.	आयुक्त (अपील) जिसने वह आदेश किया गया था, जिसके विरुद्ध अपील की गई है	:	
4.	वित्त वर्ष, जिसके संबंध में अपील की गई है	:	
5.	मद 4 में निर्दिष्ट वित्त वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिफल की कुल संदत्त/जमा रकम	:	
6.	मद सं. 4 में निर्दिष्ट वित्त वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा उद्ग्रहित शास्ति की कुल रकम	:	
7.	मूल आदेश पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी	:	
8.	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की वह धारा, जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है	:	
9.	जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना की तारीख	:	
10.	वह पता, जिस पर अपीलार्थी को सूचना भेजी जा सकेगी	:	
11.	वह पता, जिस पर प्रत्यर्थी को सूचना भेजी जा सकेगी	:	
12.	अपील में दावा किया गया अनुतोष		

अपील के आधार

1. 2. 3. 4.आदि

....

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

(प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हों) (अपीलार्थी)

सत्यापन

मैं, ..., अपीलार्थी एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

आज तारीख ..... को ..... सत्यापित

स्थान .....

.....

हस्ताक्षर

(अपीलार्थी)

टिप्पणियां :

1. अपील ज्ञापन तीन प्रतियों में होगा, जिसके साथ उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है कि दो प्रतियां (जिनमें से कम से कम एक प्रमाणित प्रति होनी चाहिए) निर्धारण अधिकारी के सुसंगत आदेश की दो प्रतियां, प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील के आधारों की दो प्रतियां, उक्त अपील प्राधिकारी के समक्ष फाइल किए गए तथ्यों के विवरण की दो प्रतियां, यदि कोई हों, संलग्न होंगी ।
2. वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की धारा 175 की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा अपील ज्ञापन के साथ 1000 रुपए की फीस संलग्न होगी ।
3. अपील अधिकरण चैंक, ड्राफ्ट, हुंडियों या अन्य पराक्रम्य लिखतों को स्वीकार नहीं करेगा ।
4. अपील ज्ञापन अंग्रेजी में लिखित होगा या यदि अपील को अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा आय-कर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित तत्समय अधिसूचित किसी राज्य में अवस्थित खंडपीठ में फाइल किया जाता है तो अपीलार्थी के विकल्प पर हिंदी में होगी और उसमें संक्षेप में सुभिन्न शीर्षकों के अधीन बिना किसी तर्क के या विवरण के अपील के आधारों को रखा जाएगा तथा उन्हें क्रमवर्ती रूप से संख्यांकित किया जाएगा ।
5. *अपील की संख्या और वर्ष को अपील अधिकरण के कार्यालय में भरा जाएगा ।
6. अनुपयुक्त स्तंभों का लोप कर दें ।
7. यदि उपलब्ध कराया गया स्थान अपर्याप्त है तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् संलग्नकों का उपयोग किया जा सकेगा ।

टिप्पणियां

1. कृपया नोट करें कि मिथ्या पैन को कोट करने पर आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 272खख के अनुसार 10,000/- रुपए की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी ।

2. करदाता आय-कर के संदाय के लिए निम्नानुसार चैक/डिमांड ड्राफ्ट आहरित/जारी कर सकेंगे :
_____आय-कर खाता में संदाय करें (उस बैंक का नाम, जहां चालान जमा किया जा रहा है)

3. कटौतीकर्ता से निवासी अभिप्रेत है, जो कोई कारबार या वृत्ति कर रहा है या अनिवासी, जिसका भारत में स्थायी स्थापन है, जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट सेवा के संबंध में किसी अनिवासी को संदत्त या संदेय रकम से समकरण उद्ग्रहण की कटौती करना अपेक्षित है (वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की धारा 166)

   कृपया सुनिश्चित करें कि बैंक अभिस्वीकृति में निम्नलिखित अंतर्विष्ट हैं :-

   1. बैंक शाखा का 7 अंकों का बीएसआर कोड
   2. चालान जमा करने की तारीख (दिन मास वर्ष)
   3. चालान की क्रम संख्या

इनको आपकी विनिर्दिष्ट सेवाओं के विवरण में उद्दृत किया जाना है ।

[अधिसूचना सं. 38/2016 : फा. सं. 370142/12/2016-टीपीएल]
लक्ष्मी नारायण, अवर सचिव (कर नीति और विधान)